इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 527] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर 2011—अग्रहायण 8, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्र. 25261-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 64 के उपबन्धों के पालन में, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 38 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३८ सन् २०११

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०११

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ७ का संशोधन. २. राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९७ (क्रमांक ४१ सन् १९९७) की धारा ७ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, या उसका नामनिर्देशिती, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आसीन न्यायाधीश हो, संस्थान का कुलाध्यक्ष (विजिटर) होगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९७ (क्रमांक ४१ सन् १९९७) की धारा ७ में यह उपबंध है कि भारत का मुख्य न्यायमूर्ति संस्थान का कुलाध्यक्ष (विजिटर) होगा. भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को अनेक प्रकार के कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करना होता है. इस दृष्टि से कि कुलाध्यक्ष (विजिटर) के उत्तरदायित्वों का प्रभावी तरीके से पालन हो सके, उक्त अधिनियम की धारा ७ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २३ नवम्बर, २०११

लक्ष्मीकांत शर्मा
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.